न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2014/00270
मिसल नम्बर–40/14

1.श्रीमति मोत्या बाई पत्नी श्री नाथूलाल
2.सीमा पत्नी ओमप्रकाश
3.दीपक आत्मज ओमप्रकाश अवयस्क जरिये वली माता श्रीमति सीमा पत्नी ओमप्रकाश जाति चमार लश्करी निवासीगण ग्राम छोटी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा कोटा

–वादीगण

बनाम

1.हेमराज आत्मज फूंदीलाल
2.सुन्दरलाल
3.मेघराज
4.सोसर
5.बसन्ती पिसरान श्री गोरधन जाति माली निवासीगण ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6.राजस्थान राज्य जर्ये तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 83,88,188 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 21/7/25

उपस्थित–
1.श्री विघाशंकर गोस्वामी, अभिभाषक वादीगण
2.श्री बलराम शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी नं0 1

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुयी। प्रकरण निम्न प्रकार हैः–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,83,188 के तहत् वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के पूर्वजो की ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 14 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा खातेदार धन्ना, औंकार पिसरान नोन्दा हिस्सा 2/3 व नाथूलाल वल्द मान्या , श्रीमती जडाव बाई बेवा मान्या, श्रीमती ग्यारसी बाई बेवा मान्या हिरसा 1/3 से दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी का सम्वत 2002 के पूर्व से ही सम्बत 2031 से 2034 तक मे जमाबन्दी सं० 48 मे उक्त खातेदारी का इन्द्राज है। इस प्रकार वादीगण का उक्त आराजी मे 1/3 हिस्सा है, तदनुसार पूर्वी की ओर के 1/3 हिस्सा आराजी पर वादीगण की काश्त चली आ रही थी, वादीगण स्व0 नाथूलाल आत्मज मान्या के वारिसान हैं। आराजी के खातेदारान

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

द्वारा उक्त आराजी को प्रतिवादी कम 1 ता 5 के परिजनो मोडया पुत्र कालु तथा गोरधन पुत्र भवंरलाल जाति माली को मुनाफा काश्त पर जुपा रखा था। उक्त व्यक्ति वादीगण से करता, लगान, सिंचाई कर आदि प्राप्त कर सम्बन्धित विभाग मे जमा कराते रहे थे। सम्वत 2038 से 2057 में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट किया गया था, तथा उक्त खसरा न0 14 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा के नये खसरा नम्बरान खसरा न0 14 रकबा 0.98 है0, खसरा न0 15 रकबा 1.10 हे0, तथा खसरा नं० 69 रकबा 0.24 हे0 कायम किये गये । वादीगण ग्राम सोगरिया मे निवास करते थे, आराजियात ग्राम अर्जुनपुरा मे स्थित थी, इसी का नाजायज लाभ उठा कर प्रतिवादी कम 1 ता 5 ने प्रतिवादी कम 6 के कर्मचारियो से साजिश करके उक्त आराजी को अपने नाम राजस्व अभिलेख मे अंकन करवा लिया है। जब कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 जाति से माली (सवर्ण) हैं, तथा वादीगण चमार लश्करी (अनुसूचित जाति) के हैं, अतः उक्त राजस्व अभिलेख में अंकन सर्वथा अवैध, अनधिकृत, गैरकानूनी है, तथा वादीगण के हितो के विपरीत शुन्य प्रभावी है. इसे प्रतिवादीगण के किसी प्रकार के हक या अधिकार हासिंल नही हो सकते हैं। प्रतिवादीगण का सारा कृत्य धारा 42 बी रा0टे0ए का उल्लंघन है। वादीगण के पूर्वजो की अन्य कृषि आराजी खसरा नं0 264 रकबा 1.07 है0 जिसमें धन्नालाल का हिरसा 1/2 व दुली चन्द, जगन्नाथ पिसरान बालू जाति चमार लश्करी से राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही है। अतः वादपत्र के चरण कम 1 में वर्णित आराजियात को प्रतिवादी कम 1 ता 5 (सवर्ण) जाति के लोगों के नाम दर्ज करने का प्रतिवादी क्रम 6 का कृत्य अवैध, अनधिकृत, गैरकानूनी व मनमाना है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सम्बत 2038 से 2057 मे वादीगण के पूर्वजो की भूमि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बगैर किसी सक्षम अधिकारी के निर्णय व सहमति से प्रतिवादी कम 1 ता 5 के खाते दर्ज कर दी, जिसका भू प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नही था। इस अवैध अंकन का पता जब वादीगण को चला तो वे मार्च 2014 के अन्तिम सप्ताह मे प्रतिवादीगण के पास गये, उनसे उक्त आराजी मे कराये गये अवैध अंकन के बाबत शिकायत की तथा आराजी पर वापिस कब्जा दे देने हेतु कहा, तो प्रतिवादी कम 1 ता 5 ने आराजी को उनके नाम अंकन होने के आधार पर वादीगण को आराजी पर कब्जा देने से मना कर दिया, व आराजी को अन्तरण कर देने की धमकी दी। प्रतिवादीगण का कृत्य अवैध है, अतः उन्हे माननीय न्यायालय की सहायता से आराजी का अन्तरण न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर निषिद्ध करवाया जाना आवश्यकं हो गया है, इसके अतिरिक्त वादीगण को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वे उक्त भूमि में अपने 1/3 हिस्से आराजी से प्रतिवादी कम 1 ता 5 को बेदखल करके कब्जा प्राप्त करे, राजस्व अभिलेख मे अपने नाम अंकन करवा कर राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवा सके, अपने आपको 1/3 हिस्सा आराजी का खातेदार घोषित करवा सके, जिसके लिए अन्य विकल्प न रहने से यह वाद पेश है । प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी कम 6 लेण्ड होल्डर होने से वाद में आवश्यक पक्षकार है, लेकिन वाद अरजेन्ट नेचर का है, उसके विरूद्ध प्रभावी सहायता भी नही चाही है, अतः धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक व समीचीन नही है। वाद प्रस्तुत कर विनय है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्र.... मा. किला नम्बर तथा वर्तमान

की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी खसरा नं0 14 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा वर्तमान खसरा न0 14 रकबा 0.98 हे०, खसरा न0 15 रकबा 1.10 हे0, तथा खसरा न0 69 रकबा 0.24 है0 वाके अर्जुनपुरा मे वादीगण का 1/3 हिस्सा वादीगण के नाम अलग खाता दर्ज किया जावे, तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख में से प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी के नाम का अंकन कर राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती की जावे, तदनुसार वादीगण को उनके 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को वादीगण के हिस्सा 1/3 आराजी पूर्वी तरफ से बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वे वादीगण के उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा आराजी को किसी प्रकार हस्तान्तरित भारयुक्त नही करे, न अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियों से करावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी नं0 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी श्री धन्ना ओकार वल्द नोन्दा व नाथूलाल पुत्र मान्या व श्रीमति जड़ाव बाई बेटी मान्या व ग्यारसी बेवा मान्या राजस्व रिकॉर्ड में दिनांक 3 मई 1974 तक दर्ज होना स्वीकार है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध आराजी के दिनांक– 16.5.1986 से बतौर खातेदार काबिज काश्त मालिकाना अधिकार चला आ रहा है जिसको परेशान करने की नियत से वादीगण द्वारा षड़यंत्र व साजिश के तहत झूँठे व मनगढंत तथ्यों के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है इस कारण वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा उक्त वाद जाति चमार लश्करी बनकर पेश किया गया है जबकि राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति की श्रेणी में माने जाने वाली जातियों की सूची में लश्करी जाति नही है इस कारण वादीगण अनुसूचित जाति के नही है इस कारण भी वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा उक्त कृषि आराजी दिनांक– 16.5.1986 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कंचन बाई पत्नी जगदीश नारायण जाति विजयवर्गीय महाजन निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा से क्रय की गई थी जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार कार्यालय में हो रहा है। प्रतिवादी क्रम–1 खरीदशुदा दिनांक से आज दिन तक उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त कृषि आराजी प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा कंचन बाई पत्नी सत्यनारायण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई थी जिसको वादीगण द्वारा वाद में पक्षकार नही बनाने के कारण वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है । प्रतिवादी क्रम 1 सद्भाविक क्रेता है। उक्त कृषि आराजी कंचन बाई द्वारा दिनांक– 23.7. 1985 को भोजा राम आत्मज कालू जाति माली निवासी अर्जुनपुरा से जरिये विक्रय पत्र जो पंजीयन कार्यालय में पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या– 426 क्रम संख्या– 1274 पेज– 203 से 204 पर अंकित द्वारा क्रय की गई थी लेकिन वादीगण द्वारा भोजराज को भी उक्त वाद में पक्षकार नही बनाने से वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह तथ्य भी झूठे अंकित किये गये है कि राजस्व रिकार्ड में चमार लश्करी जाति अंकित है जबकि मात्र लश्करी ही अंकित थी जो स्वर्ण जाति में आती है इस कारण भी वादीगण

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

का वाद खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है, वादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष क्लिनहेण्ड से नही आने के कारण वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है । वादीगण की जाति लश्करी अंकित है जो राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति की सूचि के अन्तर्गत नही आती है तथा वादीगण द्वारा आराजी को वादीगण के पूर्वज लगभग 50 वर्ष पूर्व अन्य खातेदारों को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान किये जाने के बाद उन खातेदारों अन्य व्यक्तियों को बैचान करने के बाद प्रतिवादी क्रम–1 ने सद्भाविक रूप से क्रेता के रूप में जरिये रजि० विक्रय पत्र के आराजी क्रय की है इस कारण प्रतिवादी क्रम 1 बोनाफाईड क्रेता है इस कारण भी वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जे खारिज फरमाने की कृपा करे।

प्रतिवादी नं0 2 लगायत 5 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

जवाब दावा प्राप्त होने पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादीगण के पूर्वजों की भूमि ग्राम अर्जुनपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/13 हिस्सा निहित है। स्व0 नाथूलाल वल्द मान्या के वारिस है।

–वादी

2. खातेदार द्वारा भूमि प्रतिवादीगण को मुनाफा काश्त पर दिया था।

–वादी

3. वादीगण सोगरिया में निवास करते है प्रतिवादीगण ने सेटलमेंट विभाग से मिलकर अपने खाते दर्ज करवा लिया तथा वादीगण (स्वर्ण) जाति व प्रतिवादीगण चमार अनुसूचित जाति के है।

–वादी

4. आराजी को वादीगण के नाम दर्ज कर प्रतिवादीगण के खाते से हटाया जावें।

–वादी

5. वादीगण लश्करी है जो सामान्य क्षेणी में आते है जानबूझकर (चमार) लश्करी बनकर दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

–प्रतिवादी

6. वादीगण द्वारा भूमि 16.05.1986 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कंचन बाई पत्नि नारायण विजय वगीय से खरीद की है खरीद की तारीख से काबिज काश्त है। विक्रेता को पक्षकार नहीं बनाया दावा किस जोइन्ड ऑफ पार्टीन के दोष से ग्रसित है खारिज वादीगण के पूर्व जो द्वारा 50 वर्ष पूर्व बैचान की थी तथा रजिस्टर्ड

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

विक्रय पत्र को निरस्त करने का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को है क्षैत्राधिकार के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है।

–प्रतिवादी

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी वास्ते नियत की गई।

वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

साक्ष्य वादी बंद किये जाने के पश्चात पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी हेमराज का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ। दस्तावेज जमाबंदी ग्राम अर्जुनपुरा सम्वत 2031 से 2034 प्रदर्श 1 किये गये। तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। बहस प्रतिवादी सुनी गई। वादी की ओर से बहस नही की गई।

❖ हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस प्रतिवादीपक्ष पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

❖ उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है–

तनकी 1 – आया वादीगण के पूर्वजों की भूमि ग्राम अर्जुनपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/13 हिस्सा निहित है। स्व0 नाथूलाल वल्द मान्या के वारिस है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। संलग्न जमाबन्दी संवत् 2031–34 में प्रमाणित है कि हस्तगत आराजी धन्ना, औंकार पितरान नोन्दा हिस्सा 2/3 नाथूलाल वल्द मान्या व जडावबाई बेटी मान्या, ग्यारसी बाई बेवा मान्या हिस्सा 1/3 जाति लश्करी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। वादीगण द्वारा वर्णित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार लाडपुरा के कर्मचारीयों से साजिश कर उक्त आराजी को अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रकरण किया। लेकिन वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह प्रमाणित कर सके कि प्रतिवादी गण के भूमि किस आधार पर दर्ज की गई। भूमि वर्तमान में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2066–69 के अनुसार हेमराज पुत्र फुन्दीलाल, हिस्सा 1/2 सुन्दरलाल, मेघराज पिता गोरधन, सोपर, बसन्ती पुत्रियां गोरधन, हिस्सा 1/2 कौम माली दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी हेमराज द्वारा जवाब दावें में वर्णित किया गया है कि उसके द्वारा हस्तगत आराजी दिनांक 16.05.1986 को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कंचन बाई से क्रय की गई थी, तथा कंचन बाई द्वारा उक्त आराजी जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 23.07.1985 को भोजराम आत्मज कालू से क्रय की गई थी।

दौरान बहस विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण का कथन है कि पूर्व खातेदारान द्वारा भूमि का विक्रय लश्करी जाति के सदस्य के रूप में 1984 से पहले किया था तथा वादीगण द्वारा लश्करी मेघवंशी के रूप में उक्त दावा 2014 में प्रस्तुत किया गया है। जो विक्रय के तीस

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वर्ष उपरान्त किया गया है। विधि का यह स्थापित नियम है कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहता, कानून भी उसकी किसी तरीके से कोई मदद नही कर सकता। उक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे कि हस्तगत आराजी में वर्तमान में उनका हिस्सा किस प्रकार निहित है। अतः विवेचनानुसार तनकी नं0 1 विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी 2–खातेदार द्वारा भूमि प्रतिवादीगण को मुनाफा काश्त पर दिया था।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सहादत/ दस्तावेज पेश नहीं किया है, जो यह प्रमाणित कर सके कि हस्तगत आराजी खातेदारान द्वारा प्रतिवादीगण को मुनाफा काश्त पर दी गई है। अतः तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी 3– वादीगण सोगरिया में निवास करते है प्रतिवादीगण ने सेटलमेंट विभाग से मिलकर अपने खाते दर्ज करवा लिया तथा वादीगण (स्वर्ण) जाति व प्रतिवादीगण चमार अनुसूचित जाति के है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा सेटलमेन्ट कार्यवाही का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह प्रमाणित कर सके कि दौराने भू0प्रबंध किस आधार पर भूमि प्रतिवादीगण के खाते दर्ज भी गई है। दौराने बहस अभिभाषक प्रतिवादी का कथन है कि खातेदारान द्वारा भूमि का विक्रय किया गया है लेकिन अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा भी विक्रयपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि तनकी को साबित करने का भार वादी पर है, अतः वादी के लिए यह आवश्यक है कि वह सक्षम दस्तावेजों से इसे प्रमाणित करें, जिसमें वादी असफल रहा है।

संलग्न जमाबन्दी संवत् 2031–34 से प्रमाणित है कि तत्समय राजस्व रिकार्ड में जाति लश्करी दर्ज है। जो अनुसुचित जाति की श्रेणी में नहीं आती है। वादीगण द्वारा हस्तगत आराजी के संबंध मे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उनके कथन को प्रमाणित कर सके।

अभिभाषक प्रतिवादी का कथन है कि खातेदारान द्वारा खाते में दर्ज लश्करी जाति के आभार हस्तगत आराजी का विक्रय किया गया तथा वर्तमान में खातेदारान के वारीशान द्वारा स्वयं भी लश्करी मेघवंशी बनाकर दावे प्रस्तुत किये जा रहे है, जो न्यायोचित नहीं है। स्पष्टतया वादीगण अपना पक्ष प्रमाणित करने में असफल रहे है अतः तनकी नं0 3 विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी 4– आराजी को वादीगण के नाम दर्ज कर प्रतिवादीगण के खाते से हटाया जावें।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी नं0 1 व 3 में विवेचन अनुसार वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि हस्तगत आराजी में वर्तमान में

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.

उनका हक निहित है तथा हस्तगत आराजी त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की गई है अतः तनकी 4 विरूद्ध वादीगणतय की जाती है।

तनकी 5– वादीगण लश्करी है जो सामान्य क्षेणी में आते है जानबूझकर (चमार) लश्करी बनकर दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी 2031–34 में वादीगण खातेदारान की जाति लश्करी अंकित है। हस्तगत आराजी के संबंध में वादीगण द्वारा अन्य ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो जाति के संबंध में वादीगण में दावे को प्रमाणित करता हो। अतः तनकी बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी 6– वादीगण द्वारा भूमि 16.05.1986 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कंचन बाई पत्नि नारायण विजय वगीय से खरीद की है खरीद की तारीख से काबिज काश्त है। विक्रेता को पक्षकार नहीं बनाया दावा किस जोइन्ड ऑफ पार्टीन के दोष से ग्रसित है खारिज वादीगण के पूर्व जो द्वारा 50 वर्ष पूर्व बैचान की थी तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को है क्षैत्राधिकार के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। किसी भी पक्षकार द्वारा 50 वर्ष पूर्व निष्पादित विक्रय पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह न्यायालय तनकी नं0 6 पर निष्कर्षात्मक कथन को न्यायोचित नहीं पाता।

क्रियात्मक आदेश

चूंकि तनकी नं0 1, 2, 3, 4 विरूद्ध वादीगण तय की गई है तथा तनकी 5 बहक प्रतिवादीगण तय की गई है अत उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 83,88,188 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से किया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी कोटा